

कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला

क्रमांक :- 60

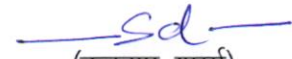
दिनांक :- 15/10/2025

:: कार्यालय आदेश ::

मैं करुणा शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह अक्टूबर, 2025 के राजकीय अवकाशों में रिमाण्ड ड्यूटी हेतु पूर्व में जारी इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 56 दिनांक 29.09.2025 में प्रशासनिक कारणों से आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 18.10.2025 से 20.10.2025 तक के राजकीय अवकाशों को जोधपुर जिला मुख्यालय, ओसियां, बिलाड़ा, बालेसर, पीपाड़ शहर, भोपालगढ़ न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले आवश्यक आपराधिक प्रकरणों यथा रिमाण्ड, जमानत, मृत्युकालीन कथन, मृत्यु समीक्षा एवं अन्य आवश्यक कार्य तथा प्रोटोकॉल आदि के लिए पूर्व में अधिकृत न्यायिक अधिकारी श्री रेणु कुमार मीणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपालगढ़ के स्थान पर श्री आदित्य, न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला को उक्त राजकीय अवकाशों में उक्तानुसार कार्य सम्पादित करने के लिए एतद्वारा अधिकृत करती हूँ :-

क्र. स.	अधिकृत न्यायिक अधिकारी का नाम व पदनाम	रिमाण्ड ड्यूटी की दिनांक	क्षेत्राधिकार
1.	श्री आदित्य, न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला	18-10-2025 19-10-2025 20-10-2025	जोधपुर जिला, बालेसर, बिलाड़ा, पीपाड़ शहर, भोपालगढ़, ओसियां न्यायालयों के लिए

उपरोक्त संशोधन के अतिरिक्त शेष आदेश (क्रमांक 56 दिनांक 29.09.2025) यथावत रहेगा।

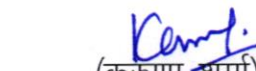

(करुणा शर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जोधपुर जिला

क्रमांक :- 750 (750)

दिनांक :- 15/10/2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जोधपुर जिला।
2. श्रीमान् विशिष्ट न्यायाधीश, पोक्सो न्यायालय, जोधपुर जिला।
3. श्रीमान् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जोधपुर जिला/बालेसर/बिलाड़ा।
4. श्रीयुत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीपाड़ शहर/बिलाड़ा/बालेसर/ओसियां।
5. श्रीयुत न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला/पीपाड़ शहर/बालेसर/बिलाड़ा/भोपालगढ़।
6. श्रीयुत न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, ओसियां
7. जिला पुलिस अधीक्षक, जोधपुर ग्रामीण को प्रेषित कर लेख है कि सभी थानाधिकारियों को सूचित करावें।
8. जिला आबकारी अधिकारी, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीन कार्यरत वृत्त निरीक्षक/प्रहराधिकारी/भारसाधक अधिकारी, आबकारी थाना को सूचित करावें।
9. उप निदेशक, अभियोजन, जोधपुर।
10. सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर सेल, जिला न्यायालय, जोधपुर जिला को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को जिला न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करें।
11. संबंधित पत्रावली।


(करुणा शर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जोधपुर जिला 15/10/2025